पत्रांक–नि०वि०स्था० (विविध)–35 / 2010.....5274 (अनु.)

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 23/10/24

विषय :– पूरे राज्य में दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2024 तक **"सतर्कता अभिचेतना सप्ताह"** के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :– केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार का पत्र संख्या–024 / वी०जी०एल० / 081 / 43006 दिनांक 11.10.2024

महाशय,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2024 तक **"सतर्कता अभिचेतना सप्ताह"** मनाया जा रहा है।

2. यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार जन–जीवन को आक्रान्त और कलुषित करता है और अंततः उसे संज्ञानहीन कर डालता है। एक स्वच्छ, सक्रिय और निष्ठावान प्रशासन–तंत्र ही राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को सद्गति प्रदान कर सकता है एवं मानवाधिकार की रक्षा कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरे जन–जीवन और प्रशासन–तंत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में अपेक्षित सतर्कता के प्रति अभिचेतना का संचार, प्रचार और प्रसार होगा।

3. विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** नीति को दृढ़तापूर्वक लागू कर सभी स्तरों पर भ्रष्टचार नियंत्रण हेतु ठोस प्रयास जारी है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु बिहार विशेष अधिनियम–2009 के अन्तर्गत भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पत्ति को राजसात करने की कार्रवाई को गति प्रदान की गई है।

अतः अनुरोध है कि :–

(1) दिनांक 28.10.2024 को सभी नागरिकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (अनुलग्नक "क") संबंधी संकल्प लिया जाय। सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यालय प्रधान/वरीयतम पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा संबंधी संकल्प 11.00 बजे पूर्वाह्न में दिलाया जाय।

(2) संगठनों के लिये भी सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (अनुलग्नक "ख" संलग्न) के आलोक में भी कार्रवाई की जाय।

कृपया इस सतर्कता अभिचेतना सप्ताह को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की दिशा में यथा सम्भव अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए और इसे नेतृत्व प्रदान करें।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

23.10.24

(अमृत लाल मीणा)

अनुबंध –क

नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि:-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

अनुबंध - ख

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा सूचना प्रदाता तंत्र उपलब्ध कराएंगे;
- हम संबंधित पक्षों तथा समाज के अधिकारों एवं हितों का समग्र रुप से संरक्षण करेंगे।